

UPBD010034102022



न्यायालय-अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु
प्रभावित क्षेत्र अधिनियम), बांदा।

पीठासीन अधिकारी- (Niranjan Kumar),

(उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06382

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-37/74/2022

आयशा आदि

.....अपीलार्थीगण

बनाम

गौस मुहम्मद आदि

.....प्रत्युत्तरदातागण

दिनांक-03.01.2024

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। अपीलार्थीगण व उसके अधिवक्ता अनुपस्थित एवं प्रत्युत्तरदातागण की तरफ से भी आज कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण प्रश्नगत सिविल मि0 प्रकीर्णवाद पर बल देने हेतु विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आ रहा है। पूर्व नियत तिथियों पर अपीलार्थीगण को प्रश्नगत प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु आदेशित भी किया गया था, परन्तु उसके उपरान्त भी अपीलार्थीगण प्रश्नगत सिविल मि0 प्रकीर्णवाद पर बल देने हेतु उपस्थित नहीं आ रहे हैं और आज भी अनुपस्थित है। प्रश्नगत अपील अपीलार्थीगण द्वारा सिविल जज जू0डि0 बांदा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.04.2019 के विरुद्ध योजित की गयी है जो कि लगभग 1226 दिन की देरी से योजित की गयी है।

3. उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत अपील में रुचि लेना बन्द कर दिया है और अपीलार्थीगण द्वारा अपील पर बल नहीं दिये जाने के कारण सिविल प्रकीर्ण वाद सं0-37/74/2022 खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

3. अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या 37/74/2022 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(निरंजन कुमार)
अपर जिला जज/

दिनांक—03.01.2024

विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे० अधि०),
बॉदा।